

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 127
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016 को दिया गया)

व्यापार करने को सुगम बनाया जाना

*127. श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री आधलराव पाटी शिवाजीराव :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यापार करने को सुगम बनाने के लिए कंपनी अधिनियम को संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कंपनियों को निगमित किए जाने को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरएस) और गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनीयरिंग (जीपीआर) की भी घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने व्यापार करने को सुगम बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक पैनल को नियुक्त किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैनल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने सुझाए गए परिवर्तनों के संबंध में एक लोक परामर्श प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में व्यापार करने को सुगम बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

व्यापार करने को सुगम बनाए जाने से संबंधित 04.03.2016 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए कंपनी विधि समिति (सीएलसी) गठित की थी। कंपनी विधि समिति ने 01 फरवरी, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कंपनी विधि समिति ने अधिनियम की लगभग 78 धाराओं में संशोधनों का सुझाव दिया है जिनमें अधिनियम की अन्य धाराओं में परिणामी संशोधन शामिल नहीं हैं। पक्षकारों के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान के अतिरिक्त सुझाए गए संशोधन देश में व्यापार करने को सुगम बनाए जाने पर केन्द्रित हैं।

कंपनी विधि समिति ने अपनी अनुशंसाएं करने से पहले अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और विशेषज्ञों तथा पक्षकारों से विस्तृत चर्चा की थी। कंपनी विधि रिपोर्ट की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी विधि समिति की दस प्रमुख अनुशंसाएं अनुलग्नक-I पर हैं।

कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार ने जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की थी। लगभग 1200 टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिनमें से अधिकांश में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया गया था। अनेक टिप्पणियां पूर्व में प्राप्त और सीएलसी द्वारा विचार किए गए सुझावों की पुनरावृत्ति थीं। सरकार द्वारा सीएलसी की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के लिए अपने मंतव्य को अंतिम रूप देते हुए इन टिप्पणियों पर विचार किया गया था। अपेक्षानुसार आगे की किसी कार्रवाई से पहले अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरे कर लिए गए हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने नामों की उपलब्धता के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किया है जिसे बाद में एमसीए21 प्रणाली में आवश्यक संशोधनों के पश्चात कंपनियों के निगमन के लिए विस्तारित किया जाएगा।

व्यवसाय करना सुगम करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के निगमन हेतु समेकित आईएनसी-29 प्ररूप प्रारंभ किया है, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अपेक्षा का लोप किया गया है, कंपनियों के लिए अनिवार्य सामान्य मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है और व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइलिंग की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। अन्य विभागों ने भी वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करने और व्यवसाय की सुगमता तथा शासन को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए कई उपाय किए हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनी विधि समिति की 10 प्रमुख अनुसंशाएं

1. निजी स्थापन प्रक्रिया का सरलीकरण [धारा 42]।
2. संगम ज्ञापन में अप्रतिबंधित उद्देश्य खंड की अनुमति देते हुए, उद्देश्यों के विस्तृत सूचीकरण की अपेक्षा हटाकर और ज्ञापन के पक्षों और प्रथम निदेशकों से प्राप्त शपथ पत्र की अपेक्षा को स्व-घोषणा द्वारा प्रतिस्थापित करके निगमन प्रक्रिया को आसान किया जाए [धारा 4 और 7]।
3. आगामी डीलिंग और आंतरिक व्यापार से संबंधित उपबंध कंपनी अधिनियम से हटाए जाएं क्योंकि ये सेबी विनियमों में शामिल हैं [धारा 194 और 195]।
4. कंपनियां विशेष संकल्प पारित करके और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करके कतिपय निकायों, जिनमें निदेशक चाहें, को ऋण दे सकती है [धारा 185]।
5. सहयोगी कंपनी और समनुषंगी कंपनियों की परिभाषाओं में संशोधन ताकि यह सुनिश्चित हो कि 'इक्विटी शेयरपूंजी' नियंत्रि-समनुषंगी संबंध के निर्णय के लिए आधार हो न कि "इक्विटी और अधिमान शेयरपूंजी दोनों" [धारा 2]।
6. समनुषंगियों और निवेश कंपनियों के स्तरों पर प्रतिबंध हटाए जाएं [धाराएं 2(87) और 186(1)]।
7. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा संबंधी शक्तियों का प्रयोग शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से किया जाए [धाराएं 196 और 197]।
8. लेखापरीक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए 'संबंधी' पद की परिभाषा में परिवर्तन [धारा 141]।
9. स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की जांच हेतु वित्तीय हितों के लिए औचित्य परिक्षण प्रारंभ किया जाए [धारा 149]।
10. दस लाख रुपए से कम के कपट को प्रशमनीय अपराध बनाया जाए [धारा 447]।

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या - 127
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 मार्च, 2016 को दिया गया)

व्यापार करने को सुगम बनाया जाना

*127. श्री धर्मेन्द्र यादव :

श्री आधलराव पाटी शिवाजीराव :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (च) क्या सरकार व्यापार करने को सुगम बनाने के लिए कंपनी अधिनियम को संशोधित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (छ) क्या सरकार ने कंपनियों को निगमित किए जाने को स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरएस) और गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनीयरिंग (जीपीआर) की भी घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ज) क्या सरकार ने व्यापार करने को सुगम बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाने हेतु संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक पैनल को नियुक्त किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैनल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं तथा इन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
- (झ) क्या सरकार ने सुझाए गए परिवर्तनों के संबंध में एक लोक परामर्श प्रक्रिया को आरंभ करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ञ) देश में व्यापार करने को सुगम बनाने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री

(श्री अरूण जेटली)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

व्यापार करने को सुगम बनाए जाने से संबंधित 04.03.2016 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.): जी, हां। सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए कंपनी विधि समिति (सीएलसी) गठित की थी। कंपनी विधि समिति ने 01 फरवरी, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कंपनी विधि समिति ने अधिनियम की लगभग 78 धाराओं में संशोधनों का सुझाव दिया है जिनमें अधिनियम की अन्य धाराओं में परिणामी संशोधन शामिल नहीं हैं। पक्षकारों के समक्ष आने वाले मुद्दों के समाधान के अतिरिक्त सुझाए गए संशोधन देश में व्यापार करने को सुगम बनाए जाने पर केन्द्रित हैं।

कंपनी विधि समिति ने अपनी अनुशंसाएं करने से पहले अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे और विशेषज्ञों तथा पक्षकारों से विस्तृत चर्चा की थी। कंपनी विधि रिपोर्ट की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। कंपनी विधि समिति की दस प्रमुख अनुशंसाएं अनुलग्नक-I पर हैं।

कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार ने जनता से टिप्पणियां आमंत्रित की थी। लगभग 1200 टिप्पणियां प्राप्त हुईं जिनमें से अधिकांश में अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन किया गया था। अनेक टिप्पणियां पूर्व में प्राप्त और सीएलसी द्वारा विचार किए गए सुझावों की पुनरावृत्ति थीं। सरकार द्वारा सीएलसी की अनुशंसाओं को स्वीकार करने के लिए अपने मंतव्य को अंतिम रूप देते हुए इन टिप्पणियों पर विचार किया गया था। अपेक्षानुसार आगे की किसी कार्रवाई से पहले अंतर-मंत्रालयी परामर्श पूरे कर लिए गए हैं।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने नामों की उपलब्धता के लिए आवेदनों की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र (सीआरसी) स्थापित किया है जिसे बाद में एमसीए21 प्रणाली में आवश्यक संशोधनों के पश्चात कंपनियों के निगमन के लिए विस्तारित किया जाएगा।

व्यवसाय करना सुगम करने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनियों के निगमन हेतु समेकित आईएनसी-29 प्ररूप प्रारंभ किया है, न्यूनतम प्रदत्त पूंजी की अपेक्षा का लोप किया गया है, कंपनियों के लिए अनिवार्य सामान्य मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है और व्यवसाय शुरू करने के लिए फाइलिंग की अपेक्षा समाप्त कर दी गई है। अन्य विभागों ने भी वर्तमान नियमों और प्रक्रियाओं को सरल करने और व्यवसाय की सुगमता तथा शासन को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देते हुए कई उपाय किए हैं।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 127 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

कंपनी विधि समिति की 10 प्रमुख अनुसंशाएं

1. निजी स्थापन प्रक्रिया का सरलीकरण [धारा 42]।
2. संगम ज्ञापन में अप्रतिबंधित उद्देश्य खंड की अनुमति देते हुए, उद्देश्यों के विस्तृत सूचीकरण की अपेक्षा हटाकर और ज्ञापन के पक्षों और प्रथम निदेशकों से प्राप्त शपथ पत्र की अपेक्षा को स्व-घोषणा द्वारा प्रतिस्थापित करके निगमन प्रक्रिया को आसान किया जाए [धारा 4 और 7]।
3. आगामी डीलिंग और आंतरिक व्यापार से संबंधित उपबंध कंपनी अधिनियम से हटाए जाएं क्योंकि ये सेबी विनियमों में शामिल हैं [धारा 194 और 195]।
4. कंपनियां विशेष संकल्प पारित करके और प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करके कतिपय निकायों, जिनमें निदेशक चाहें, को ऋण दे सकती है [धारा 185]।
5. सहयोगी कंपनी और समनुषंगी कंपनियों की परिभाषाओं में संशोधन ताकि यह सुनिश्चित हो कि 'इक्विटी शेयरपूंजी' नियंत्री-समनुषंगी संबंध के निर्णय के लिए आधार हो न कि "इक्विटी और अधिमान शेयरपूंजी दोनों" [धारा 2]।
6. समनुषंगियों और निवेश कंपनियों के स्तरों पर प्रतिबंध हटाए जाएं [धाराएं 2(87) और 186(1)]।
7. प्रबंधकीय पारिश्रमिक के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा संबंधी शक्तियों का प्रयोग शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प के माध्यम से किया जाए [धाराएं 196 और 197]।
8. लेखापरीक्षकों की अर्हता निर्धारित करने के लिए 'संबंधी' पद की परिभाषा में परिवर्तन [धारा 141]।
9. स्वतंत्र निदेशकों की स्वतंत्रता की जांच हेतु वित्तीय हितों के लिए औचित्य परिक्षण प्रारंभ किया जाए [धारा 149]।
10. दस लाख रुपए से कम के कपट को प्रशमनीय अपराध बनाया जाए [धारा 447]।
